259

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

अपील क्र.154-J-15

पंचायत अपील प्रकरण क्र.....2015

अपीलार्थी : श्रीमती सरिता राजेश पटेल पत्नी राजेश पटैल
उम्र लगभग 27 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी एवं
सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी ग्राम कारीतलाई,
तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रति उत्तरार्थी : श्रीमती ममता पटेल पति रंगलाल पटेल
जिला पंचायत अध्यक्ष, कटनी
निवासी ग्राम पोस्ट कारीतलाई
तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.)

अपील अंतर्गत धारा 36(4) म.प्र. पांचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रकरण क्र. 238/बी–121/2014–15 में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2015 से व्यथित हो निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत है ।

तथ्य

अपीलार्थी निम्न कथन करती है :–

01. यह कि अपीलाथी/आवेदिका द्वारा अनावेदिका/प्रति उत्तरार्थी के विरूद्ध जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 जिला पंचायत कटनी से सदस्य निर्वाचित तथा तत्पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हो जाने के विरूद्ध एक आवेदन पत्र श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 36(1)(डी) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत किया था ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डंल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक –अपील 2154–एक / 15 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.9.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 238 / बी–121 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26–5–15 के विरूद्ध पेश की गई है । 2 / प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निर्वाचन यचिका म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (डी) के तहत अनावेदिका के विरूद्ध पेश की गई जिसे आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । 3 / प्रकरण में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त ने प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति का संपूर्ण उल्लेख करते हुए यह पाया है कि नामांतरण प्रस्तुत करते समय अनावेदिका शासकीय सेवा में नहीं थी क्योंकि उनका त्यागपत्र विकास खंड शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर नामांतरण प्रस्तुत करने के पूर्व स्वीकार कर लिया गया था और अनावेदक ने 2.32 मिनिट पर अपना नामांकन	

निग-2154-I/15 (करनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत किया था । कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त ने यह पाया है कि नामांकन प्रस्तुत करते समय आवेदिका शासकीय सेवा में नहीं थी । विद्वान आयुक्त ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया है कि अनावेदिका द्वारा नाम निर्देशन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्ण है और कोई कॉलम रिक्त नहीं है । शपथपत्र में कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई थी । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका को अस्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	